षोडश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 29 फाल्गुन, 1939 (श0) / 20 मार्च, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 135

(1)	शिक्षा विभाग	..	81
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	04
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	..	12
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	11
(5)	परिवहन विभाग	..	04
(6)	पर्यावरण एवं वन विभाग	..	05
(7)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	04
(8)	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	03
(9)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	07
(10)	मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	04
		कुल योग —	135

शुल्क कम देना

'क'-*740. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा आपसी बँटवारे वाली जमीन पर भी समान शुल्क की राशि ली जाती है, यदि हाँ, तो इस प्रकार के बँटवारे में शुल्क कम करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कार्रवाई करना

'ख'-*742. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के ग्राम पंचायत, कुन्दह के बलिया मध्य विद्यालय को वर्ष 1953 में दान में मिले जमीन जिसका खाता संख्या 44, खेसरा 441 में डेढ़ कट्ठा, खाता संख्या 29, खेसरा 447 में 5 कट्ठा एक धुर, खाता संख्या 35, खेसरा 437, रकबा 4 कट्ठा 18 धुर, खाता संख्या 34, खेसरा 439 में रकबा 1 कट्ठा 19 धुर 10 धुरकी कुल 4 किता, 4 खेसरा यानी 14 कट्ठा, 7 धुर, 10 धुरकी जमीन किशोरी मंडल व सजन मंडल द्वारा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को दानकर्ता द्वारा दिये जमीन को किशोरी मंडल व सजन मंडल के पुत्रों द्वारा गरीबों से पैसा लेकर नाजायज तरीके से स्कूल की जमीन पर भवन निर्माण कर बेचा जा रहा है जिसके कारण स्कूल का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दानकर्ता के पुत्रों द्वारा नाजायज रूप से विद्यालय के परिसर में निर्माण कार्य पर रोक लगाने एवं उनपर कौन-सी कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रस्वीकृति देना

'ग'-*1056. श्री (मो0) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा 444 नये मदरसों को प्रस्वीकृति देने हेतु प्रति मदरसों से 8,000 रु0 फीस के रूप में वर्ष 2014 में जमा करवाया गया था, परन्तु आजतक प्रस्वीकृति नहीं दी गयी, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसों को कबतक प्रस्वीकृति देने का विचार रखती है ?

महोत्सव कराना

*1686. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चम्पारण के महान विभूमि पं0 राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गाँधी जी को महात्मा नाम दिया तथा निहलों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का काम किया उनके नाम पर एक मात्र शैक्षणिक संस्थान लौरिया प्रखंड अन्तर्गत पंचायत राज सिंहपुर सतवरिया के ग्राम-सतवरिया में है , यदि हाँ, तो सरकार पं0 राजकुमार शुक्ल के नाम पर चल रहे महाविद्यालय परिसर में विभाग के माध्यम से प्रतिवर्ष पं0 राजकुमार शुक्ल महोत्सव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 8 मार्च, 2018 को सदन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में स्थानान्तरित ।

'ख'-दिनांक 8 मार्च, 2018 को सदन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित ।

'ग'-दिनांक 13 मार्च, 2018 को सदन द्वारा स्थगित ।

राशि का भुगतान करना

*1687. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 03/यो026/2017/5725, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 के द्वारा मृत्योपरान्त देय अनुदान योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार/मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना द्वारा दुर्घटना/आपदा में अकस्मात मृत व्यक्ति के शोक संतप्त परिवार को 20 हजार की राशि देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के 6 अंचलों में अगस्त, 2017 में आयी बाढ़ के पानी में डूबने से मृत दो दर्जन से भी अधिक मृतक के परिवारों को अबतक राष्ट्रीय परिवार/मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी शोक संतप्त परिवारों को राष्ट्रीय परिवार/मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत 20-20 हजार की राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन चालू कराना

*1688. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के लगभग 10 हजार सामाजिक सुरक्षा, योजना के पेंशनधारियों का पेंशन नाम, खाता सं0 आदि में त्रुटि के कारणों से रोक दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त त्रुटि को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर दूर करते हुये पेंशनधारियों को कबतक पेंशन चालू कराने का विचार रखती है ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1689. श्री अशोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत, सलैया के ग्राम-राजा विगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण उक्त गाँव एवं आस-पास के बच्चों को 5-6 कि0मी0 दूर जाने के बाद प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-राजा विगहा में प्राथमिक विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ए0सी0पी0 का लाभ दिलाना

*1690. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार के ज्ञापांक 3678, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 के द्वारा बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना-1 के कर्मियों को ए0सी0पी0 की स्वीकृति दिनांक 9 अगस्त, 1999 से प्रदान की गई है जिसमें सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह का नाम क्रमांक एक पर अंकित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक एवं स्थापना प्रशाखा द्वारा उक्त आदेश के क्रम में वेतन निर्धारण अबतक नहीं किये जाने के कारण श्री सिंह ए0सी0पी0 के लाभ से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वेतन निर्धारण कराकर श्री सिंह को ए0सी0पी0 का लाभ देने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*1691. डॉ0 शमीम अहमद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड अंतर्गत उत्तरी फुलवार पंचायत के ग्राम-घोड़मरवा में वर्ष-2008 में प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय का दर्जा दिया गया है, परन्तु अभीतक उक्त विद्यालय भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1692. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 80, दिनांक 17 फरवरी, 2009 के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के यू0 एस0 पी0 महाविद्यालय, शिशवा, पटना में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, यदि हाँ, तो अबतक स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने का क्या औचित्य है ?

भवन का पुनर्निर्माण

*1693.. श्री जीवेश कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखण्ड के सहसपुर पंचायत के चन्दौना गाँव में प्राथमिक कन्या विद्यालय में मात्र दो कमरे हैं तथा दोनों कमरों का छत जर्जर होने के कारण बरसात के दिनों में पानी टपकता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा मुहैया कराना

*1694. डॉ0 रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992/1994 की मान्यताओं के अनुकूल वित्त रहित कर्मियों की सेवाशर्त का निर्धारण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कर्मियों के सेवाशर्त का निर्धारण कर सरकारी कर्मचारियों की भाति सुविधाएँ मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*1695. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय, सरौती एवं +2 उच्च विद्यालय, बेलमोहन में शिक्षक एवं वर्ग कक्षों की कमी रहने के कारण शिक्षण कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों विद्यालयों में दस शिक्षकों का पदस्थापन करने एवं दस वर्ग कक्ष का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण की शक्ति देना

*1696. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में विगत एक वर्ष से नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होने के कारण सेवानिवृत्त होनेवाले रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 31 मार्च, 2018 तक रिक्त रह जानेवाले पदों पर पदस्थापन नहीं किया जाता है, तो स्वतः समाप्त हो जायेंगे ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से स्थानांतरण की शक्ति दिये जाने हेतु छः महीने पूर्व अनुरोध किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को कबतक पटना जिला में रिक्तियों को स्थानांतरण के माध्यम से भरे जाने हेतु शक्ति देने का विचार रखती है ?

राशि उपलब्ध कराना

*1697. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत योगापट्टी प्रखण्ड की पूनम कुमारी तथा मीना कुमारी, ग्राम-पिपरहियाँ को वर्ष 2013 का मुख्यमंत्री कन्या विवाह का पैसा पाँच साल बाद भी प्राप्त नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूनम कुमारी का आवेदन संख्या 010211013121300072 तथा मीना कुमारी का आवेदन सं0 010211013121300071, दिनांक 12 मार्च, 2013 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन दोनों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पैसा कबतक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा निर्धारित करना

*1698. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ने बी0 एड0 प्रशिक्षण दिलाने हेतु सत्र-2014--16, 2015--2017 एवं सत्र 2016-2018 के दौरान 1500 से अधिक अभ्यर्थियों का नामांकन लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बिना मान्यता के ही उक्त सत्रों में नामांकन हेतु शुल्क के रूप में अभ्यर्थियों से करोड़ों की वसूली की गयी और मान्यता नहीं होने के कारण उनकी परीक्षा लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिना मान्यता प्राप्त बी0 एड0 में नामांकन लेकर वसूली करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त सत्र के अभ्यर्थियों की परीक्षा कबतक निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1699. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला मुख्यालय में तीन स्थानों पर शिक्षा विभाग का अस्थायी कार्यालय चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अलग-अलग स्थानों पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का कार्यालय होने के कारण समन्वय के अभाव में पदाधिकारियों के साथ-साथ शिक्षक एवं छात्रों को कठिनाई हो रही है तथा कार्य का निष्पादन नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्यालय भवन के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1700. श्री अरूण कुमार (192)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश प्रखण्ड के जमुआँव पंचायत में अवस्थित उच्च विद्यालय, कुसरे का भवन खपरैल था, जो ध्वस्त हो गया है, जिससे पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1701. श्री नारायण प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक ''हिरण का शिकार करने वालों ने किसान को पीटा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया थाना क्षेत्र के बरवाबारी निवासी राजा मियाँ, फिजूल मियाँ समेत आधा दर्जन लोगों ने हिरण का शिकार बडकापट्टी, सरेह में किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिकारियों द्वारा नियमित रूप से वन्य जीवों का शिकार कर बेतिया शहर में ले जाकर बेखौफ बेचा जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । बैरिया थाना अन्तर्गत हिरण के शिकार का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है । 26 दिसम्बर, 2017 को दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेकर बेतिया वन प्रमंडल में इस मामले की जाँच की गयी थी, जिसमें कथित शिकार का मामला तथ्यगत नहीं पाया गया ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(3) उपर्युक्त खंडों से संबंधित सूचना में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । वन्यप्राणी अपराध की घटना पाये जाने पर वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शिकारी एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाती है ।

दोषियों पर कार्रवाई

*1702. श्री रत्नेश सादा--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2018 को प्रकाशित शीर्षक''शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की खुली पोल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत नवहट्टा प्रखंड के 18 विद्यालयों की जाँच वरीय पदाधिकारी-सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा किये जाने पर पाया गया कि उक्त विद्यालयों में नामांकित 5,016 छात्र/छात्राओं में मात्र 142 उपस्थित थे तथा 18 विद्यालयों में से 6 विद्यालय पूरी तरह बंद एवं 91 शिक्षक में से 61 शिक्षक उपस्थित थे, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जाँच के आलोक में दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई की मंजूरी देना

*1703. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान नगरपालिका अंतर्गत 150 वर्ष पूर्व एक मदरसा मदरस यतीमखाना हजरत अबूल खैरात शाह रहमुतुल्लाह द्वारा शैख मोहल्ला में कायम किया गया जिसमें लड़के/लड़कियों की पढ़ाई होते चली आ रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) का मदरसा केवल उस्तानिया, फौकानिया तक बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा मंजूर किया है, जबकि यह मदरसा आलिम/फाजिल तक का अर्हता रखता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मदरसे में कबतक मौलवी/आलिम/फाजिल की पढ़ाई की मंजूरी देने का विचार रखती है ?

लाभार्थियों को भुगतान कराना

*1704. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी एवं बोचहाँ प्रखण्ड के प्रखण्ड कल्याण कार्यालयों में वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों का भुगतान लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित प्रखण्डों के लाभार्थियों को भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विभागीय कार्रवाई करना

*1705. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 731, दिनांक 2 मई, 2012, ज्ञापांक 768, दिनांक 18 मई, 2012 द्वारा श्री सच्चिदानंद सिन्हा, कनीय अभियंता, घोसवरी रब्बी विपणन वर्ष 2012-13 में प्रभारी, गेहूँ क्रय केन्द्र, घोसवरी प्रतिनियुक्त थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि गेहूँ क्रय में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने एवं राजस्व की क्षति पहुँचाने के लिये अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना ज्ञापांक 342, दिनांक 22 फरवरी, 2013 द्वारा उपर्युक्त प्रभारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है किंतु उक्त दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हुये निदेशक, शिक्षा विभाग (प्राथमिक) के ज्ञापांक 115, दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा श्री गुलाबचन्द्र राम, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, घोसवरी, पटना सम्प्रति प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, पोखरैरा, मुजफ्फरपुर पर आरोप गठित कर न्याय विरुद्ध दंडादेश निर्गत किया गया है, जबकि श्री राम द्वारा न तो उक्त गेहूँ की खरीद की गयी थी और न ही उनसे स्पष्टीकरण ही पूछा गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री गुलाब चन्द्र राम को न्याय दिलाते हुये दोषी पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1706. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला से पटना तक के लिये सरकारी बस नहीं चलने से आम जनता को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कटिहार से पटना तक पर्याप्त सरकारी बसें कबतक चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*1707. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक (मा० शि०) बिहार, पटना के पत्रांक 1649, एवं 1650, दिनांक 27 अगस्त, 2015 द्वारा पटना जिला के फतुहा प्रखंड के पिताम्बरपुर पंचायत के मध्य विद्यालय रसलपुर, मौजीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय मौजीपुर, मोमिन्दपुर पंचायत के मध्य विद्यालय बुद्धुचक एवं कोल्हर पंचायत के मध्य विद्यालय कोलहर को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु भूमि उपलब्धता की जाँच के लिये जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र भेजा गया तथा जिला पदाधिकारी, पटना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के निदेश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 662, दिनांक 29 अगस्त, 2016 के द्वारा इन विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निदेशक (मा० शि०), बिहार, पटना, को जाँच प्रतिवेदन समार्पित किया गया, परन्तु अभीतक उक्त मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया गया है जिसके कारण वहाँ के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में कबतक उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*1708. डॉ० सी०एन० गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत स्थित जय प्रकाश विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान सहित अन्य विषय में 15 शिक्षकों का पद सृजित नहीं होने के कारण इस विषय सहित अन्य विषयों का पठन-पाठन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विश्वविद्यालय में उक्त विषयों सहित अन्य विषयों के 15 शिक्षकों का पद का सृजन कर प्रतिनियुक्त कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1709. श्री राजेश कुमार (222)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा के अम्बा चिल्हकी हाई स्कूल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2017 में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, परन्तु अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक, कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1710. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के बिराटपुर चंडी स्थान के उच्च विद्यालय में वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 में प्रधानाध्यापक द्वारा साइकिल योजना एवं पोशाक राशि की निकासी कर ली गयी, परन्तु लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल सका, यदि हाँ, तो सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर प्रधानाध्यापक पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1711. श्री नारायण प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक-12 दिसम्बर, 2017 के प्रकाशित शीर्षक ''आर्मी बहाली को 200 से 500 में बिक रहे नन जुडिशियल स्टाम्प'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया में आर्मी बहाली के दौरान अभ्यर्थी से सौ रुपये का नन जूडिशियल स्टॉम्प 200 से 500 रुपये में बेचा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभ्यर्थियों की माँग पर स्टॉम्प वेंडरों द्वारा कृत्रिम अभाव दिखाया जा रहा था, जिसकी शिकायत जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया से की गयी तो उन्होंने वेंडरों को डाँट कर छोड़ दिया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टॉम्प कालाबाजारी को प्रश्रय देने वाले पदाधिकारी तथा वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण करना

*1712. श्री विनोद कुमार यादव--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के कुशा बीजा पंचायत में करीब 15 एकड़ वन भूमि बंजर हैं, एवं उस बंजर भूमि पर वन-रोपन कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वन भूमि पर पेड़ लगाने एवं अन्य सौन्दर्यीकरण कार्य कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1713. डॉ० शमीम अहमद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड अंतर्गत बनकटवा पंचायत के ग्राम-पकही में प्राथमिक विद्यालय का सृजन वर्ष 2015 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध है, परन्तु उक्त नवसृजित विद्यालय को गोला पकड़िया गाँव के प्राथमिक विद्यालय में टैग कर दिया गया है, जिसकी दूरी ग्राम-पकही से 1 कि०मी० है, जिस कारण स्थानीय बच्चों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का भवन उक्त गाँव में ही निर्माण कराकर पठन-पाठन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1714. श्री विजय प्रकाश--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला में वर्ष 2008 से संचालित 445 तालिमी मरकज केन्द्र को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा वर्ष 2010 से बंद कर दिया गया है, जिससे उसमें कार्यरत शिक्षकों के परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त 445 तालिमी मरकज केन्द्र को चालू कराने के साथ दोषी जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की श्रेणी में लाना

*1715. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 2459 + 1 श्रेणी के मदरसों को बिहार सरकार ने 2010 में अनुदान की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2459 + 1 श्रेणी के मदरसों में से अबतक 205 + 609 = 814 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाया जा सका है शेष बचे मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने का मामला लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 2459 + 1 श्रेणी के शेष बचे मदरसों को अनुदान की श्रेणी में कबतक लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एकलव्य विद्यालय खोलना

*1716. श्री विजय प्रकाश--क्या मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के बरहट खैरा एवं लक्ष्मीपुर प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति हेतु वर्ष 2016 में प्रश्नकर्ता सदस्य के द्वारा अनु0 जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को लिखा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1090, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के द्वारा अनु0 जन-जाति आवासीय (एकलव्य) विद्यालय निर्माण हेतु बरहट प्रखंड में भूमि उपलब्धता का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि झाझा प्रखंड में उक्त विद्यालय खोलने को प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जिलाधिकारी, जमुई के द्वारा प्रस्तावित भूमि पर एकलव्य विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*1717. श्री (मो0) जावेद--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नेता जी सुभाष इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिहटा के प्रशासन द्वारा अपने छात्रों से अनुपस्थिति एवं अन्य प्रकार के दंड के नाम पर अवैध रूप से पैसे की वसूली की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज के जिन पहली या द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों ने उक्त अवैध वसूली का विरोध किया तथा पैसा नहीं जमा किया उनके फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किये जाने के कारण सभी छात्र एवं छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस मामलें की जाँच कराकर प्रभावित छात्रों को कबतक न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1718. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत अधौरा प्रखंड मुख्यालय कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित है वहाँ ज्यादातर आदिवासी वनवासी निवास करते है तथा बुनियादी सुविधायों से वंचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना से अधौरा प्रखंड मुख्यालय की दूरी 260 कि0मी0 है वहाँ से परिवहन निगम की कोई बस सेवा पटना तक परिचालित नहीं होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंड से पटना तक बस का परिचालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

+2 में उत्क्रमित करना

*1719. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत अकबरपुर प्रखंड के मनले पंचायत के ग्राम-लखमोहना, पंचायत फुलना के ग्राम-फुलना एवं पंचायत गोविन्द बीघा के ग्राम-पैजना में मध्य विद्यालय है, परन्तु प्लस टू विद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों गाँवों में अवस्थित मध्य विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है ?

पेंशन देना

*1720. श्री श्याम रजक--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक ''परिवार में छ: लोग दिव्यांग, लेकिन नहीं मिल रही पेंशन सहायता'' के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के मदद के लिये पेंशन की व्यवस्था की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के खुसरूपुर के राजेश कुमार गुप्ता, जिनका पुरा परिवार दिव्यांग है तथा उनके द्वारा पेंशन हेतु खुसरूपुर प्रखंड कार्यालय में दिया गया आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजेश कुमार गुप्ता तथा उनके अन्य पाँच दिव्यांग परिवार के सदस्यों को पेंशन कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोर्ड का गठन

*1721. श्री (मो0) नेमातुल्लाह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 14 सदस्यों पर आधारित बोर्ड का गठन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सन् 2014 से 2016 तक बिना सदस्य के दो बार बोर्ड का गठन किया गया आज की तिथि में भी पूर्णरूपेण बोर्ड का गठन सरकार द्वारा नहीं कर मात्र एक चेयरमैन नियुक्त कर कार्य चलाया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अधिनियम के आलोक में कबतक 14 सदस्यों के बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है ?

कॉलेज खोलना

*1722. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज (सरकारी) नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बराप पंचायत के ग्राम-सिहार में सरकारी जमीन उपलब्ध है तथा मुख्यालय से मात्र 20 कि0 मी0 की दूरी पर उक्त गाँव अवस्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गाँव के सरकारी जमीन पर कबतक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1723. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड कोचस में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये छात्रावास नहीं रहने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिये छात्रावास का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1724. श्रीमती समता देवी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में खेल-कूद को प्रोत्साहित करने हेतु एक स्टेडियम का निर्माण का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*1725. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार नगर स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 153 एवं 155 सहित 70 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण सेविका एवं सहायिका के साथ बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कबतक कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*1726. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में पदस्थापित महिला शिक्षिकाओं का पदस्थापन उनके गृह अंचल में नहीं रहने के कारण उन्हें अपने कर्तव्य निवर्हन के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार महिला शिक्षिकाओं को कबतक उनके गृह अंचल में पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1727. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखण्ड अधीन मोगलिया, पुरन्दाहा पूर्व पंचायत के बग्घी, बरैना ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से स्थानीय छात्र प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार बग्घी, बरैना ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*1728. श्री अरूण कुमार (75)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इन्टरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा, 2018 का परीक्षा केन्द्र M.L.T. College, सहरसा में एस0 एन0 एस0 के0-5 कॉलेज, सहरसा एवं D.L. College, बैजनाथपुर एवं अन्य दो तीन कॉलेज को बनाया गया एवं एम0 एल0 टी0 कॉलेज, सहरसा में गृह विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है और न ही प्रयोगशाला है, फिर भी इण्टर की प्रायोगिक परीक्षा ली गई, यदि हाँ, तो सरकार जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना।

*1729. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ एन0 एच0 82 से अस्थावाँ होते हुये बरबीघा तक पथ का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पथ चौड़ीकरण के क्रम में सड़क के किनारे स्थित सागवान, सिसम, सखुआ तथा आम आदि के पेड़ों को काट दिया गया है, जिसका हिसाब विभाग के पास नहीं रहने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विषय की जाँच निगरानी से कराते हुये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित कराना

*1730. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के पचरतन पंचायत में मध्य विद्यालय, पचरतन कार्यरत है, परन्तु माध्यमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये करीब 7 कि०मी० की दूरी तय कर अमारूत या डोभी जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार मध्य विद्यालय, पचरतन को उत्क्रमित कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1731. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखण्ड के धर्मपुर गाँधी उच्च विद्यालय, कृष्णा नगर में पिछड़ी जातियों के लिये बना छात्रावास विगत 15 वर्षों से जर्जर रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालू उठाव चालू कराना

*1732. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला सहित पूरे राज्य में बालू खनन हेतु दुकानों का आवंटन किया गया है तथा अभी 12 जिलों का बालू बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हर प्रखंड में चार-चार दुकानों का आवंटन किया गया है, जिसके द्वारा चालान एवं इनभाईस से ही बालू निकालना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवंटित दुकानों से ही बालू उठाव कराना चाहती है तथा 12 जिलों में बंद बालू उठाव कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*1733. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के नये स्वीकृत 205 मदरसों के छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण मदरसों के बच्चों को अध्ययन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मदरसों में वर्णित योजनाओं का लाभ देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सीट की संख्या बढ़ाना

*1734. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अंतर्गत श्री गाँधी उच्च विद्यालय से वर्ष 2017 में 750 बच्चे मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री गाँधी उच्च विद्यालय, परिहार में 10+2 की पढ़ाई होती है, ग्यारहवीं में मात्र 240 लड़कों का नामाकरण का प्रावधान है, बाँकी बच्चे नामांकन से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय के +2 में नामांकन के लिये सीट की संख्या में बढ़ोत्तरी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाये वेतन का भुगतान

*1735. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर, रोसड़ा, सिंघिया सहित अन्य सात प्रखण्डों में पदस्थापित प्रखण्ड शिक्षकों को वर्ष 2017 के जनवरी तथा फरवरी माह का वेतन का भुगतान कम एलौटमेन्ट की वजह से नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार इन प्रखण्डों में पदस्थापित प्रखण्ड शिक्षकों का पिछले वर्ष के बकाये वेतन का भुगतान यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*1736. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड समस्तीपुर के ग्राम-हफिमावाद वार्ड नं० 2 स्थित प्राथमिक विद्यालय, हफिमावाद, चौवटिया ग्राम पंचायत मुसापुर स्थित ग्राम-काजीचक स्थित प्राथमिक विद्यालय, नवहरिया टोला सहित कई अन्य विद्यालय भवनहीन है, जिसके कारण पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*1737. श्री फैयाज अहमद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिस्फी एवं रहिका प्रखण्ड में +2 बालिका उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण बालिकाओं को 18–20 कि०मी० दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिस कारण बालिकाओं का +2 साक्षरता दर न्यूनतम है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में कबतक एक-एक +2 बालिका उच्च विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*1738. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के जी०ओ०बी० मद से वेतन पाने वाले नियोजित शिक्षकों का नवम्बर, 2016 से फरवरी, 2017 तक का वेतन भुगतान लम्बित है तथा किशनगंज जिला के शिक्षकों का विगत दस माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे शिक्षकों के समक्ष आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने सी०डब्लू०जे०सी० नं० 2652 ऑफ 2018 में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को पारित आदेशानुसार सरकार तीन माह से अधिक वेतन को लंबित रखती है तो उसे 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लंबित वेतन भुगतान करना होगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त शिक्षकों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कबतक लम्बित वेतन भुगतान करना चाहती है नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1739. श्रीमती समता देवी--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी एवं बोधगया सहित राज्य के अन्य प्रखंडों में जंगली नीलगाय द्वारा जमीन पर लगे फसल को बर्बाद करने के कारण किसानों को आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार नीलगाय से फसल को बचाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना

*1740. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैसे प्रखंड जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय के माध्यम से ओ०डी०एल० मोड् के अंतर्गत लर्निंग सेन्टर चालू कर शिक्षा देने हेतु सरकार कृतसंकल्पित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर, कोटवा सहित 23 प्रखंडों में कोई डिग्री कॉलेज नहीं होने से वहाँ के गरीब छात्रों को पठन-पाठन में दिक्कत होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिला के वैसे डिग्री कॉलेजरहित प्रखंड में उक्त योजना का लाभ छात्रों को कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*1741. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना में स्थित राजकीय मदरसा इस्लामिया शम्सुल होदा में विगत 2 वर्षों में शिक्षकों का 21 पद रिक्त है, जिसके कारण इस मदरसा में तालिम लेने वाले छात्रों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसा के रिक्त पदों पर शिक्षकों का कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रस्वीकृति बहाल करना

*1742. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद विद्यालय, बहुरवा, भेलाही को वर्ष 2017 में ही प्रस्वीकृति देने के बाद बिना कारण स्वीकृति पर रोक लगा दी गई है, जबकि विद्यालय +2 तक के सभी शर्तों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अल्पसंख्यक संस्थान की प्रस्वीकृति कबतक बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1743. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में सरकारी बस आरा से पीरो तक जाती है, परन्तु गड़हनी में स्टोपेज नहीं रहने के कारण गड़हनी के यात्रियों को आवागमन में कठिनाई होती है एवं इस रूट में प्राईवट बसों में अतिरिक्त राशि की माँग की जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सरकारी बस का स्टोपेज करने एवं अतिरिक्त राशि की माँग करने वाले प्राईवेट बसों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1744. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखंड में नव-सृजित प्राथमिक विद्यालय, हसनपु बुजुर्ग में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2013 में 12,19,000 राशि आवंटन हुआ था, जिस राशि से विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, परन्तु प्रधानाध्यापक के असहयोग के कारण निर्माणाधीन भवन अभीतक पूर्ण नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण कराते हुये दोषी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*1745. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय, बरियरबा एवं +2 उच्च विद्यालय, खजुरी में शिक्षक एवं वर्ग कक्ष की कमी रहने के कारण शिक्षण कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में 10 शिक्षकों के पदस्थापन एवं 10 वर्ग कक्ष निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध नियुक्ति रद्द करना

*1746. डॉ० अशोक कुमार (139)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पारू प्रखंड के मध्य विद्यालय, बसंतपुर पारू में पदस्थापित ज्ञान कुमार सहित उनतीस (29) नियोजित प्रखंड/पंचायत शिक्षकों की एस०टी०ई०टी० 2011 के परिणाम के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मार्च, 2015 में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सी०डी० के अनुसार इसकी जाँच के क्रम में प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति अवैध पाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उनको अवैध नियुक्ति से संबंधित रिपोर्ट अक्टूबर, 2017 में डी०ई०ओ० मुजफ्फरपुर एवं निदेशक, शिक्षा (प्रा०) को दिये जाने के बावजूद इन अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इनके वेतन भुगतान हेतु प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर संबंधित शिक्षकों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अवैध नियुक्त/नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर तत्काल रोक लगाते हुये इन अवैध नियुक्तियों को रद्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1747. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गुठनी प्रखंडान्तर्गत लोकमान्य तिलक उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक श्री युगल किशोर पाण्डेय सेवा में रहते हुये जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) के सलेमपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कारण निलम्बित किया गया तथा बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना के ज्ञापांक 1640, दिनांक 10 जुलाई, 1990 द्वारा श्री पाण्डेय को आरोपित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आरोप के बावजूद श्री पाण्डेय सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की सूची में उनका नाम सूचीबद्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त आरोप के बावजूद श्री पाण्डेय को सहायक शिक्षक के पद पर बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1748. डॉ० रंजु गीता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बोखड़ा में राजकीय युगेश्वरी मध्य विद्यालय, बुधनगरा की स्थापना 1946 में हुयी थी, जो 2 एकड़ जमीन में अवस्थित है एवं वर्ग 1 से 8 तक कक्षा का संचालन मात्र 4 रुम जर्जर में किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित विद्यालय में भवन निर्माण के साथ चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल की निकासी

*1749. श्रीमती पूर्णिमा यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड स्थित इन्टर विद्यालय, रोह के सामने स्थित मैदान में बरसात के दिनों में पानी जम जाने के कारण विद्यालय तक छात्र/छात्राओं को पहुँचने में परेशानी उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मैदान में नाला बनाकर जल निकासी कराने का विचार रखती है ?

वृद्धा पेंशन का भुगतान

*1750. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड में वृद्धा पेंशन विगत 11 माह से नहीं मिला है, जिससे पेंशनधारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के पेंशनधारियों को वृद्धा पेंशन कबतक भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानक निर्धारित करना

*1751. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में उच्च विद्यालय निर्माण के लिये शहरी क्षेत्र में 2.50 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5.00 एकड़ जमीन निर्धारित की गयी है, मानक अधिक रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च विद्यालय निर्माण के लिये जमीन की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यालय निर्माण के लिये एक समान मानक निर्धारित करने का कबतक विचार रखती है ?

स्थापना करना

*1752. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल में तारामंडल एवं विज्ञान केन्द्र नहीं है, जिस कारण प्रमंडल के छात्र-छात्राओं को खगोलीय जानकारी नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ शहर में एक तारामंडल एवं विज्ञान केन्द्र की कबतक स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*1753. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ प्रखंड के दोना पंचायत में मध्य विद्यालय स्थित है, परन्तु उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार मध्य विद्यालय दोना को +2 विद्यालय में कबतक उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1754. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत बघाड़ी पंचायत के बारा प्राथमिक विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण प्रांगण में पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे बच्चों एवं शिक्षकों को पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*1755. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सतर कटैया प्रखण्ड के विजलपुर, बाड़ा भेलवा एवं औंकाकी पंचायत, में अबतक उच्च विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों के मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में कबतक उत्क्रमित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की नियुक्ति

*1756. श्री (मो०) जावेद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा ऐजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसा इसलामिया शम्शुल होदा, पटना में शिक्षक के 21 पद रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर शिक्षक की नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का वितरण

*1757. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ के प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2010-11 से दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के मदरसों में वर्ग-1 से वर्ग 8 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिये मुख्यमंत्री पोशाक योजना की राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से अभीतक शुरू नहीं हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्णियाँ जिला के सभी मदरसों में मुख्यमंत्री पोशाक योजना की राशि का वितरण का कार्य कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय की स्थापना

*1758. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ प्रखण्ड में कन्या उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र की छात्राएँ उच्च विद्यालय की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में कन्या उच्च विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1759. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सरैया प्रखण्ड के राजकीय मध्य विद्यालय मणिकपुर में पदस्थापित प्रधानाध्यापक पद पर श्री लखेन्द्र प्रसाद सिंह का स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति अवैध है, और इसी आधार पर उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति दी गयी है, और सरैया प्रखण्ड का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी बना दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में प्राप्त शिकायत के आलोक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने सुश्री रंजीता, भा०प्र०से० तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर से मामले की जाँच करायी गयी;

(3) क्या यह बात सही है कि जाँच रिपोर्ट में श्री सिंह की प्रोन्नति अवैध पायी गयी है और आरोपों के लिये श्री सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता जतायी गयी, साथ ही अवैध प्रोन्नति में संलिप्त कार्यालय कर्मियों की भी संलिप्तता मानी गयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध प्रोन्नति मामले में दोषी शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी/विभागीय कार्रवाई करने तथा इसमें संलिप्त कार्यालय कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान देना

*1760. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को वर्ग-1 से वर्ग-8 तक पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों का मानदेय 900 रुपये मिलता है, जबकि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक का वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पेय 1900 रुपया दिया जाता है और संस्कृत मदरसा तथा प्राथमिक शिक्षक का नियोजन वर्ष-2010-11 में किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार प्राथमिक शिक्षक एवं नगर शिक्षक के नियोजित शिक्षकों की भाँति मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1761. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मनोज कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय, बिरहिमा बाजार, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने अपने पत्रांक 158, दिनांक 2 सितम्बर, 2016 के माध्यम से आमंत्रित कर राजकीय पुरस्कार प्रदान किया था;

(2) क्या यह बात सही है कि पुरस्कार हेतु उनका चयन गलत तरीके से किया गया था और इसकी शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी सुश्री रंजीता, तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर से जाँच करायी गयी थी;

(3) क्या यह बात सही है कि जाँच पदाधिकारी ने श्री कुमार द्वारा गलत रिज्यूम बनाकर और विभाग को धोखा देकर पुरस्कार प्राप्त करने की पुष्टि की थी और अपने पत्रांक 164 गो०, मुजफ्फरपुर दिनांक 9 फरवरी, 2017 के माध्यम से रिपोर्ट सौंपी थी;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार दोषी शिक्षक से पुरस्कार वापस लेने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन उपलब्ध कराना

*1762. श्री अरूण कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सहरसा मुख्यालय में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, ओ०बी०सी० कन्या उच्च विद्यालय एवं रूपवत्ती कन्या उच्च विद्यालय दूसरे विभाग की जमीन एवं भवन में संचालित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बालिका विद्यालयों के लिये भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1763. श्री लक्ष्मेश्वर राय--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड एवं खुटौना प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*1764. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल, दौला में भवन निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विभाग द्वारा 2014-15 में निविदा निष्पादित किया गया है तथा उक्त काम का ठेका बी०के० सिंह, कटिहार को मिला है, परन्तु कार्य अभीतक प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन के निर्माण कराने एवं दोषी संवेदक पर कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की प्रतिनियुक्ति

*1765. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के रामनगरा, नरहा, ससौला, दोहरा में 10+2 विद्यालय में न तो शिक्षक हैं न ही बेंच, टेबुल की व्यवस्था है, जिसके कारण पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त 10+2 विद्यालयों में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति एवं बेंच, टेबुल की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सत्र प्रारंभ कराना

*1766. श्री अब्दुस सुबहान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी अनुमंडलीय डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य का शिलान्यास मई, 2012 में किया गया है और कॉलेज का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2016 में पूरा कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्मित डिग्री कॉलेज का भार (टेक ओभर) शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिये जाने के कारण सत्र प्रारंभ नहीं किया जा सका है, जिससे छात्र डिग्री कॉलेज में नामांकरण से वंचित हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त डिग्री कॉलेज को शिक्षा विभाग द्वारा अधीनीकरण (Take over) कर सत्र प्रारंभ कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1767. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट के उच्च विद्यालय, सोनहुला के परिसर इलाके का सबसे बड़ा खेल मैदान है परन्तु स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के परिसर में स्टेडियम निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेड़ों को संरक्षित करना

*1768. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के कामेश्वर नगर परिसर (विश्वविद्यालय कैम्पस) में बड़ी संख्या में दुर्लभ पेड़ हैं, जिसकी कटाई अवैध रूप से जारी है, यदि हाँ, तो सरकार दुर्लभ पेड़ों को संरक्षित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण

*1769. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरदी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्रीसीया गोपीनाथपुर की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का जामवड़ा एवं पशुओं का विद्यालय प्रांगण में आने-जाने से छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों विद्यालय का चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1770. श्री रामविलाश पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत पिरपैंती प्रखण्ड के महादेव टीकर उच्च विद्यालय स्थित क्रीड़ा स्थल पर स्टेडियम नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को खेल-कूद में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च विद्यालय स्थित क्रीड़ा स्थल पर स्टेडियम कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1771. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखण्डान्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तलवार, बंधा, एवं ठाकुरगंज प्रखण्डान्तर्गत मध्य विद्यालय, कद्दुमीठा में चहारदीवारी नहीं है, जिसके कारण विद्यालयों की सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में बी०ए०डी०पी० के तहत चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योगदान कराना

*1772. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्डान्तर्गत किसनपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, कोकरिया दियारा से प्राथमिक विद्यालय, पिऊन टोला, लालबथानी में एक वर्ष पूर्व स्वीटी रानी, सहायक शिक्षिका का स्थानांतरण होने के बावजूद उक्त शिक्षिका द्वारा योगदान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शिक्षिका को प्राथमिक विद्यालय, पिऊन टोला, लालबथानी में योगदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित करना

*1773. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के प्राईवेट स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देने से छात्रों के प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रहित में उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राईवेट स्कूलों के छात्रों को सम्मिलित होने की अनुमति कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1774. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सोनो प्रखंड के केशो फरका पंचायत के ठाकुर, आहार एवं चकाई प्रखंड के चन्द्रमंडी पंचायत के कोराने में आँगनबाड़ी का भवन विगत 5 वर्षों से अर्द्धनिर्मित है, जिससे वहाँ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पेड़ के नीचे अध्ययन करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त अधूरे भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय खोलना

*1775. श्रीमती रंजू गीता--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में अनुसूचित जाति का आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड मुख्यालय में अनुसूचित जाति का आवासीय विद्यालय की स्वीकृति नहीं होने के कारण उक्त वर्ग के बच्चे शिक्षा के लाभ से वंचित हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रावधान के अनुरूप वर्णित प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय खोलने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1776. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बंदोबस्त नदी, घाटों में बिना सीमांकन के तथा दिन में पोकलैन से बालू के उत्खनन पर रोक है;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अवस्थित नदियों से बंदोबस्तधारी द्वारा बिना सीमांकन के तथा दिन में ही पोकलैन मशीन से लगातार उत्खनन किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बाँका जिला की नदियों का स्थायी सीमांकन कराने तथा पोकलैन से हो रहे बालू उत्खनन पर रोक लगाकर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवामुक्त करना

*1777. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सुर्यगढ़ा प्रखण्ड के अंतर्गत अलीनगर पंचायत में फर्जी ढंग से 5 (पाँच) शिक्षक की बहाली पंचायत सचिव द्वारा ज्ञापांक 1735, दिनांक 29 फरवरी, 2016 एवं ज्ञापांक 314, दिनांक 22 फरवरी, 2017 के आधार पर ज्ञापांक 8, दिनांक 10 अप्रील, 2017 को स्थापना डी०पी०ओ० (तत्कालीन) द्वारा नियोजन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि डी०ई०ओ० शिक्षा विभाग, लखीसराय एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, पटना को प्रश्नकर्ता सदर द्वारा इस संबंध में 2017 में लिखित सूचना (जानकारी) दी गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई एवं फर्जी 5 शिक्षकों को सेवामुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन शुरू कराना

*1778. श्री शुधांशु शेखर--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लगभग 20 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों का भवन करोड़ों की लागत से निर्माण हो चुका है, परन्तु उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने के कारण पठन-पाठन शुरू नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कबतक नियुक्ति कर पठन-पाठन शुचारु रूप से चालू कराना चाहती है ?

बालू घाटों की निलामी

*1779. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चकाई एवं सोनों प्रखंडों में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण क्षेत्र में बालू की कमी हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में बालू घाटों की नीलामी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम् बनाना

*1780. श्री रामविलास पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के वंशीपुर ग्राम स्थित खेल मैदान में स्टेडियम नहीं रहने के कारण उक्त इलाके के छात्र-छात्राओं को खेलकूद करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम के खेल मैदान में स्टेडियम कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समायोजित करना

*1781. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पटना वीमेंस कॉलेज, पटना को स्वायतता प्रदान की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों को पटना विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में समायोजित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*1782. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत कुल स्वीकृति नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1018 है;

(2) क्या यह बात सही है कि 1018 नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों में 136 विद्यालयों को भूमि उपलब्ध है, किन्तु भवन उपलब्ध नहीं है, जबकि उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव राज्य कार्यालय को वर्ष 2016-17 में भेज दी गई है, लेकिन अबतक राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को भवन निर्माण के लिये राशि कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1783. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अंतर्गत धुरियाही पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, शाहपुर की शिक्षिका सोनू खातुन, कटिहार में रहती है और सप्ताह में एक दिन विद्यालय आती हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1784. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड लक्की नवीगंज के किशुन पर स्थित मा0 वि0 को अपनी क्रीड़ा मैदान है, लेकिन स्टेडियम से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1785. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के पिपरिया प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षक, श्री विन्दु कुमार विगत तीन साल से विद्यालय से अनुपस्थित फरार थे, जिसे डी0 पी0 ओ0 स्था0 एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा लखीसराय शिक्षा विभाग स्थापना के ज्ञापांक 2018, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 के आलोक में मध्य विद्यालय, वलीपुर में योगदान करवा दिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड नियोजन इकाई पिपरिया प्रखण्ड ने विभागीय आदेश नहीं मानने के कारण शिक्षक श्री विन्दु कुमार को निलंबित किया था;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षक के संबंध में प्रखण्ड नियोजन इकाई डी0 ई0 ओ0, लखीसराय एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को 2017 में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा साक्ष्य के साथ लिखित जानकारी दी गई थी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्तमान व्यवस्था बहाल रखना

*1786. श्री जीवेश कुमार--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''स्टाम्प की बिक्री निजी एजेंसी से कराने की तैयारी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्टाम्प की बिक्री निजी एजेंसी से कराने की नई व्यवस्था प्रक्रियाधीन है जिसमें निजी एजेंसी का चयन बिना टेण्डर के किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त व्यवस्था लागू हो पाने के बाद राज्य को आर्थिक क्षति होगी एवं 5 हजार मुद्रांक बिक्रेता बेरोजगार हो जायेंगे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टाम्प बिक्री की वर्तमान व्यवस्था बहाल रखने का विचार रखती है ?

पदस्थापन करना

*1787. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में 16 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद स्वीकृत है परन्तु पाँच ही प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पदस्थापित हैं तथा शेष बचे प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त रहने कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रतिकूल असर पर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला में शेष स्वीकृत पदों पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*1788. श्री रामप्रीत पासवान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड झंझारपुर के संस्कृत विद्यालय, मंगरौनी, सुगौना एवं अन्धराठाढ़ी प्रखंड के गनौली एवं मंगरौना विद्यालय में मात्र एक या दो शिक्षक कार्यरत रहने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त संस्कृत स्कूलों में कबतक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1789. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा, बड़हरा, कोईलवर प्रखंडों के सी0डी0पी0ओ0 द्वारा आँगनबाड़ी सेविका की मिलीभगत से कागजी खानापूर्ति कर सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को चलाये बगैर ही प्रत्येक माह पोषाहार की खपत दिखाई जाती है, यदि हाँ, तो सरकार जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का निर्माण

*1790. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय शिक्षा का अधिकार के परिधि से बाहर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन विद्यालयों हेतु किसी प्रकार की विनियमन बनाने की योजना है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की नियुक्ति

*1791. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित सुगाँव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी सहित अन्य विषयवार शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं किये जाने के कारण उक्त विद्यालय के विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में विषयवार शिक्षकों को नियुक्त कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की नियुक्ति

*1792. डॉ0 रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को ललित कला एवं संगीत जैसे तकनीकी विषयों की शिक्षा दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में उक्त विषयों की पढ़ाई हेतु शिक्षक नहीं हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी विद्यालयों में ललित कला एवं संगीत शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खुलवाना

*1793. श्रीमती पूर्णिमा यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खुलवाने का विचार रखती है ?

कॉलेज खोलना

*1794. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड अधौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने से उक्त प्रखंड के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिये क्षेत्र से बहार जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालू का उत्खनन

*1795. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत कतरीसराय प्रखंड के सकरी नदी के किनारे ग्राम-परमानंदपुर के सटे पुल से नियम के विपरीत बालू का उठाव किये जाने से पुल डैमेज की स्थिति में आ गया है, यदि हाँ, तो सरकार बालू का उत्खनन सरकारी नियमानुसार पुल से अलग कराये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1796. श्री मुद्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के छः प्रखंडों के उच्च विद्यालय में गरीब छात्राओं को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा सात वर्ष पूर्व की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि छः साल में मात्र दो प्रखंडों मढ़ौरा और गरखा में ही छात्रावास का निर्माण हुआ तथा तरैया और इसुआपुर प्रखंड में छात्रावास का निर्माण नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तरैया और इसुआपुर प्रखंड में छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*1797. डॉ0 मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत असरगंज प्रखंड में स्टेडियम निर्माण हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पत्रांक 1221, दिनांक 21 नवम्बर, 2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्रस्ताव की माँग की गई थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 362, दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेज दिया गया है, परन्तु अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फ्रेंकिंग मशीन लगाना

*1798. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ न्यायालय परिसर में मात्र एक फ्रेंकिंग मशीन रहने के कारण स्टाम्प मिलने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ न्यायालय एवं समाहरणालय में एक-एक अतिरिक्त फ्रेंकिंग मशीन कबतक लगाने का विचार रखती है ?

स्टेडियम निर्माण

*1799. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के प्रखंड लकड़ी नवीगंज प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय, किशुनपुर में क्रीड़ा मैदान है, लेकिन स्टेडियम निर्माण नहीं किया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

जल-जमाव से मुक्ति

*1800. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत मलाही पंचायत के ग्राम-मलाही में राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के उत्तरी भाग में खेल का मैदान है जिसमें बरसात के दिनों में जल-जमाव हो जाने पर छात्रों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर मिट्टी भराकर जल-जमाव से कबतक मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाईब्रेरी की व्यवस्था

*1801. श्री श्याम रजक--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिये ब्रेल लाईब्रेरी, टॉकिंग लाईब्रेरी तथा डीजिटल लाईब्रेरी की व्यवस्था नहीं होने के कारण नेत्रहीन दिव्यांगों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिये ब्रेल लाईब्रेरी, टॉकिंग लाईब्रेरी तथा डीजिटल लाईब्रेरी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धा आश्रम की स्थापना

*1802. श्री रामप्रीत पासवान--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंडान्तर्गत वृद्धा आश्रम (Old age home) की स्थापना हेतु समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के लिये पत्रांक 1/सा०सु०-वृद्धाश्रम 1/2010 स०क० 490, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को लिखा गया था, जिला पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 3771, (मु०) जि०रा०, दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से भूमि उपलब्ध होने सम्बन्धी विवरण सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त वृद्धा आश्रम (Old age home) की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*1803. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 14 जून, 2017 को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से गोपालगंज के बैकुण्ठपुर में अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने हेतु बैकुण्ठपुर प्रखंड में मौजा मानटेंगराही में खाता नं० 24, खेसरा नं० 122, 154, 209, 290, 298 कुल 11.9 एकड़ भूमि का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा समाहर्ता, गोपालगंज से ज्ञापांक 1052, दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 को खंड (1) में उल्लेखित भूमि के संदर्भ में प्रतिवेदन की माँग की गई थी, परन्तु दोनों पदाधिकारियों द्वारा अभीतक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में उल्लिखित भूमि पर कबतक अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*1804. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2008/10 में प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला केसरिया प्रखंड के पश्चिमी सरोतर 10+2 उच्च विद्यालय में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध है तथा स्टेडियम निर्माण की सभी अर्हताएँ मौजूद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संरक्षित करना

*1805. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के ऐतिहासिक रामबाग किला की दीवारें वर्ष 2015 में आये भूकम्प में क्षतिग्रस्त हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त किला की दीवार के क्षतिग्रस्त होने से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त किला के दीवार को कबतक संरक्षित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1806. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बलरामपुर पंचायत के बैद्दोल ग्राम में सरकारी मदरसों मोईनिया, खलीलीया मदरसा नम्बर 676, निजी मकान में चलता है, जबकि उक्त मदरसे का अपनी रजिस्टर्ड जमीन मौजा दुल्लोपुर खाता नं० 15, खेसरा नं० 98, रकबा 2.11 एकड़ उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपनी जमीन में उक्त मदरसा नहीं चलने के कारण उक्त मदरसा के लिये भवन निर्माण के लिये आवंटित राशि 2014-2015 में लौट गया है और अपग्रेडिंग सहित अन्य तरह के सभी विकास कार्य अवरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मदरसा को अपनी रजिस्टर्ड जमीन में स्थानांतरित करते हुये भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन दिलाना

*1807. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा एवं नगरा प्रखंड अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 35 हजार पेंशनधारियों को एक वर्ष से पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के पेंशनधारियों को कबतक पेंशन दिलाने का विचार रखती है ?

औचित्य बताना

*1808. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 11 जुलाई, 2017 को मुख्य सचिव, बिहार के अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि विभाग के भूमि पर किसी तरह का संस्थान नहीं खोले जायेंगे ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा गोपालगंज जिला के कुचायकोट अंचल के मौजा टोला, सिपाया में कृषि फार्म के भूमि पर अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापना हेतु 5 जून, 2017 को सक्षम स्वीकृति हेतु अभिलेख सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कृषि फार्म के भूमि पर अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का औचित्य क्या है ?

छात्रावास का निर्माण

*1809. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में ओ०बी०सी० छात्रावास का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र-छात्राओं को रहने ने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में ओ०बी०सी० छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1810. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखण्ड में जगरनाथपुर हाट प्रा० विद्यालय का भवन जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1811. श्री वशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखण्ड में प्राथमिक विद्यालय, शुक्लपुरा का भवन जर्जर रहने के कारण शिक्षण कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1812. श्री शत्रुधन तिवारी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में खेल के विकास के लिये एक स्टेडियम का निर्माण कराने की योजना 2008 से चल रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत अमनौर प्रखण्ड के धरहारा खुर्द पंचायत के धरहारा खुर्द ग्राम में सरकारी जमीन की उपलब्धता के बाद भी आजतक स्टेडियम का निर्माण नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अमनौर प्रखण्ड के धरहारा ग्राम में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कक्षा का संचालन

*1813. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखण्ड मुख्यालय में श्री नन्दीपत जितू उच्च विद्यालय अवस्थित है, जिसमें 10 शिक्षक पदस्थापित है एवं दो हजार छात्र एवं छात्रा नामांकित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में आधारभूत संरचना होने के बावजूद प्रधानाचार्य की उदासीनता के कारण विद्यालय में कक्षा का संचालन नहीं होता है, जिससे बच्चों का पठन-पाठन नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय में कक्षा संचालन करने एवं बच्चों का पठन-पाठन सुचारू रूप से चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नामकरण

*1814. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर में अनुग्रह स्मारक महाविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय का जमीन गूर्दी ग्राम के द्वारा दान किया गया है, परन्तु महाविद्यालय के नाम में नबीनगर के साथ भूमिदाता गाँव का नाम जोड़ा नहीं गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय का नाम अनुग्रह स्मारक महाविद्यालय, नबीनगर गूर्दी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास भवन का निर्माण

*1815. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखण्ड में रामपुर पंचायत सहित 4 पंचायतों में एवं नगरा प्रखंड में कोटेया पंचायत सहित 8 पंचायतों में महादलित सामुदायिक विकास भवन का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में कबतक महादलित सामुदिक विकास भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है ?

विद्यालय खोलना

*1816. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कू सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 (सिधांव) प्रखण्ड में बालिका 10+2 विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा की डिग्री लेने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में बालिका 10+2 विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1817. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर बाजार, कुचायकोट बाजार से पटना तक के लिये सरकार द्वारा प्राइवेट बसों के संचालन हेतु परमिट दिया गया है, परन्तु उक्त प्राइवेट बसों का परिचालन उक्त रूट पर नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त बसों का परिचालन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है ?

पटना :

दिनांक 20 मार्च, 2018 (ई०) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 120—डी०टी०पी०—550